जुगलाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य

जी. एस. संधवालिया और विकास सूरी न्यायधीश

जुग लाल-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और प्रतिवादी

2017 का एल. पी. ए. No.1246

15 मार्च, 2022

भारत का संविधान, 1950-Art.226 और 227-पेटेंट अपील पत्र-पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेश-सीमा अधिनियम, 1963-धारा 5-अपील में देरी-रिट अदालत के आदेश की पुष्टि-07.05.2013 पर पारित विवादित फैसला-07.05.2013 पर प्राप्त प्रमाणित प्रति 28.05.2013 को प्राप्त की-दायर की गई पहली अपील और प्राप्त आपत्तियां 07.10.2016-पहली अपील की आपत्तियां 40 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर नहीं हटाई गईं, इस तथ्य के बावजूद कि अपील 3 साल और 5 महीने की अवधि के बाद दायर की गई थी-12.07.2017 पर दायर उसी फैसले पर एक और अपील, एक बार जब आपत्तियां जो पहले के अवसर पर उठाई गई थीं और निर्धारित अवधि में नहीं हटाई गई थीं, 2017 में दायर की गई वर्तमान अपील विचारणीय नहीं है और दूसरी अपील दायर करने के बराबर है, जो स्वीकार्य ना है, अतः LPA ख़ारिज की जाती है।

अभिनिर्धारित किया कि ऐसी परिस्थितियों में, इस न्यायालय को उस आवेदक के आचरण ने और अप्रसन्न किया, जो हर समय लापरवाही करता था।परिणामस्वरूप, विद्वत एकल न्यायाधीश द्वारा गुण-दोष के आधार पर पारित दिनांक 07.05.2013 के विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(पैरा 9)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार,

पलिका मोंगा, डी. ए. जी., हरियाणा, प्रतिवादी संख्या 1 और2. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अनुराग गोयल, अधिवक्ता पेश हुए।

जी. एस. संधवालिया, न्यायधीश

(1) सी. डब्ल्यू. पी.-4828-2013 में माननीय सिंगल जज द्वारा पारित दिनांक 07.05.2013 के आदेश के खिलाफ वर्तमान पत्र पेटेंट अपील निर्देशित की गई है।इसे 1496 दिनों की देरी से प्रतिबंधित किया गया है जिसे सीमा अधिनियम की खंड 5 के तहत सीएम-2632-एलपीए-2017 दाखिल करके उचित ठहराया गया है।

(2) उक्त आवेदन का प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाब दाखिल करके कड़ा विरोध किया गया है कि 3 साल से अधिक की अत्यधिक देरी हुई है और दूसरा यह कि वर्तमान अपील दूसरी अपील है जो दायर की गई है।

(3) आवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि देरी को माफ करने के लिए ली गई याचिका यह है कि 07.05.2013 पर निर्णय पारित होने के बाद, इसके लिए आवेदन किया गया था और 28.05.2013 पर प्राप्त किया गया था।आवेदक इस धारणा में था कि जून के महीने में इस न्यायालय में अवकाश है और उसके बाद उसने न्यायालय के खुलने पर अपने वकील से संपर्क किया और अपील तैयार की गई थी और देरी हुई थी।यह विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि अपील डायरी No.1113495 के माध्यम से दायर की गई थी और यह आवेदक का मामला है कि कार्यालय द्वारा 07.1.2016 पर आपत्ति जताई गई थी और उसके बाद, अपील का टाइपिंग रूम, घर आदि में वैसे भी पता नहीं लगाया जा सका। इसके बाद एक नई याचिका दायर की गई।तदनुसार, यह अनुरोध किया जाता है कि मामले का निर्णय कई निर्णयों पर भरोसा करके देरी की तकनीकीता पर इसे बंद करने के बजाय गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए।

(4) दिनांक 04.04.2018 के आदेश का अवलोकन, जिसे अब विलम्ब की क्षमा के लिए आवेदन में दायर उत्तर के साथ संलग्नक ए-1 के रूप में रिकॉर्ड में रखा गया है, यह दर्शाता है कि समयबद्ध अपील विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थी।यह देखा गया कि कार्यालय द्वारा नोट लगाने के बावजूद, उन आपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी जो 07.10.2016 पर तब उठाई गई थीं जब अपील दायर की गई थी।अधिवक्ताओं से अनुरोध किया गया था कि वे

31.12.2016 तक आपत्तियों के साथ पड़े अपने मामलों को एकत्र करें, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया था और नियम 9, अध्याय 1, भाग-ए, खंड 5, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों पर भरोसा करते हुए अपील को रिकॉर्ड में जमा करवा दिया गया था। उक्त आदेश इस प्रकार हैः "उपरोक्त अपील श्री नीरज कुमार द्वारा 07.10.2016 पर दायर की गई थी। पंजीकरण ने 07.10.2016 पर केस फाइल पर आपत्ति जताई थी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों के नियम 9, अध्याय 1, भाग-ए, खंड 5 के अनुसार, जिस याचिका पर पंजीकरण द्वारा आपत्ति जताई गई है, उसे उस वकील/पक्ष द्वारा वापस लिया जाना है, जिसने इसे दायर किया है, जिसे कुल 40 दिनों की अवधि के भीतर फिर से दायर किया जाना है। आपत्तियों को हटाने के बाद इसे फिर से दाखिल करने के लिए वापस नहीं लिया गया था।विफलता पर, मामले को आदेश के लिए न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना है। पंजीकरण द्वारा बाद सूची दिनांक 08.02.2018 से 31.02.2018 में नोट दिया गया था। जहां अधिवक्ताओं से आपत्तियों के साथ पड़े अपने सभी मामलों को एकत्र करने का अनुरोध किया गया था, जो आपत्तियों को हटाने के बाद फिर से दाखिल करने के लिए 31.12.2016 तक दायर किए गए थे।

यह भी अधिसूचित किया गया कि इस प्रकार के सभी लंबित मामलों को उचित आदेश के लिए न्यायालय में सूचीबद्ध किया जाएगा।

मामला 04.04.2018 के लिए वाद सूची में दिखाया गया था। वहाँ कोई उपस्थित नहीं था।

उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।फाइल को रिकॉर्ड में जमा करवा दिया जावे। ”

(5) पेपर-बुक के अवलोकन से यह भी पता चलता है कि वर्तमान अपील 12.07.2017 पर दायर की गई थी जो वास्तव में वाद हेतु उसी कारण पर दूसरी अपील दायर करने के बराबर है जिसकी अनुमति नहीं होगी।एक बार जब पहले के अवसर पर उठाई गई आपत्तियों को निर्धारित अवधि के भीतर नहीं हटाया गया था, तो वर्तमान अपील विचारणीय नहीं होगी।

(6) एक अन्य पहलू जिस पर इस तथ्य के अलावा भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 40 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर आपत्तियों को हटाने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, वह यह है कि अपील स्वयं 3 साल और 5 महीने की अवधि के बाद 07.10.2016 पर दायर की गई थी।देरी को माफ करने के लिए आवेदन में स्पष्ट रूप से इसकी व्याख्या नहीं की गई है और इसलिए, किसी भी पर्याप्त कारण की अनुपस्थिति में और एक बार घोर लापरवाही और निष्क्रियता होने पर, आवेदक ने अपील का अपना हक़ खो दिया है।यह तय सिद्धांत है कि मुकदमेबाजी के लिए समय-सीमा तय करना और कानूनी उपायों के लिए जीवन-काल तय करना सामान्य कल्याण और पर्याप्त न्याया को आगे बढ़ाने के

उद्देश्य से है। केवल जहां प्रशंसनीय और पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया गया है, यह न्यायालय देरी को माफ कर देगा जिसे भी तर्कसंगत होना चाहिए। वादकारी की ओर से एक प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए जो वर्तमान मामले में ऐसा कोई नहीं है जो इस न्यायालय को एक उदार दृष्टिकोण लेने के लिए राजी कर सके।

(7) दर्शन सिंह बनाम सुरजीत सिंह में, इस न्यायालय ने उस अपील पर विचार करते हुए, जिसे दोषों को हटाने के बाद सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि किसी भी वैध कारण की अनुपस्थिति में में, 1 वर्ष और 5 महीने की अवधि के बाद फिर से दाखिल करने में देरी को माफ नहीं किया जा सकता था। इस न्यायालय के पूर्ववर्ती पीठ के निर्णय पृथ्वी राज बनाम श्रीमती कमल कांता पर विचार किया गया था जिसमें यहां तक कि पुनः दाखिल करने में 3 महीने की देरी को भी अक्षम्य नहीं माना गया था। फैसले का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार हैः

“4. सीमा की अवधि पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 5, खंड V अध्याय I, भाग A के तहत निर्धारित की गई है जो न्यायिक व्यवसाय से संबंधित है।यह अध्याय "समीक्षा और संशोधन के लिए अपीलों, याचिकाओं और आवेदनों की प्रस्तुति और स्वीकृति" से संबंधित है।नियम 5 अपीलों को फिर से दायर करने से संबंधित है और निम्नानुसार हैः

"5. संशोधन।- (1) उप-पंजीयक आदेश XLI, नियम 3, सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्दिष्ट कारण के लिए किसी भी अपील का ज्ञापन को निर्धारित करने के लिए एक बार में 10 दिनों और कुल मिलाकर 40 दिनों से अधिक समय के भीतर संशोधन और पुनः दाखिल करने के लिए वापस आ सकता है।(2) यदि उप-नियम (1) के तहत उप-पंजीयक द्वारा अनुमत समय के भीतर अपील ज्ञापन में संशोधन नहीं किया जाता है, तो इसे न्यायालय के समक्ष आदेश के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।" उपरोक्त नियमों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि नियमों के तहत निर्धारित सीमा की अधिकतम अवधि 40 दिन है।इसलिए, जब भी किसी पक्ष को फिर से दायर करने के लिए अपील वापस की जाती है, तो इसे 10 दिनों और कुल मिलाकर 40 दिनों के भीतर फिर से दायर किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि अपील फिर से दायर करने की अधिकतम अवधि 40 दिन है।पंजीकरण की रिपोर्ट से वर्तमान मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि हालांकि अपील को सीमा के भीतर प्रस्तुत किया गया था, लेकिन इसे 27.5.2005 पर वापस कर दिया गया था, जिसमें अपीलकर्ता को पेपर-बुक को पेज मार्क करने और फैसले की उचित टाइप की गई प्रति भी दाखिल करने के लिए कहा गया था। अपीलकर्ता को इस दोष को दूर करना चाहिए था और 10 दिनों के भीतर और किसी भी मामले में 40 दिनों से अधिक नहीं अपील फिर से दायर करनी चाहिए थी।अन्यथा भी, बताए गए दोष के लिए अधिक समय की आवश्यकता नहीं थी।

यह अपील एक साल चार महीने और 22 दिन यानी 509 दिनों के बाद फिर से दायर की गई थी।आवेदन में किए गए अभिकथनों के अनुसार, आवेदन में आग्रह किया गया मुख्य आधार आवेदक/अपीलार्थी के बहनोई की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु है, जिसकी मृत्यु 21.1.2006 पर हुई थी।भले ही अवधि तक उसकी मृत्यु और एक या दो महीने की और मोहलत दी गई है, फिर भी उचित समय के भीतर अपील फिर से दायर नहीं करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।आवेदक के बहनोई की मृत्यु के लगभग नौ महीने बाद अपील की गई है।इसके बाद भले ही आगे की आपत्तियों के सुधार के लिए पूरी अवधि की अनुमति दी जाए, फिर भी 22.3.2007 पर आवेदक को फिर से अपील वापस कर दी गई।इसे 16.4.2007 फिर से दाखिल किया गया। एक वर्ष की अवधि और शुरू में आत्यन्तिक रूप पाँच महीने के लिए फाइल को बनाए रखने का कोई वैध कारण नहीं है।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों, खंड V अध्याय I, भाग A के तहत सीमा निर्धारित की गई है जो वैधानिक प्रावधानों की प्रकृति में है।उक्त नियमों के नियम 5 (1) में पुनः अपील दायर करने के लिए अधिकतम 40 दिनों की अवधि निर्धारित की गई है।नियम 5 के उप नियम (2) में आगे यह प्रावधान है कि यदि समय के भीतर अपील में संशोधन नहीं किया जाता है, तो इसे अदालत के आदेशों के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए।सवाल यह उठता है कि क्या पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के नियम 5, खंड V अध्याय I, भाग A के तहत निर्धारित सीमा की अवधि का सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए

जिससे यह अनिवार्य और निर्देशित है। सीमा अधिनियम की खंड 3 न्यायालय के लिए दूसरे पक्ष द्वारा किसी भी बचाव के बावजूद सीमा के प्रश्न पर विचार करना अनिवार्य बनाती है। सीमा अधिनियम की धारा 3 की खंड (1) निम्नानुसार हैः

"3(1) बार ऑफ लिमिटेशन।- (1) धारा 4 से 24 (समावेशी) में निहित प्रावधानों के अधीन, निर्धारित अवधि के बाद किए गए प्रत्येक मुकदमा, अपील को प्राथमिकता दी जाएगी और आवेदन को खारिज कर दिया जाएगा, हालांकि सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया है।"

5. यदि अपील सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर दायर नहीं की जाती है, तो सीमा अधिनियम की खंड 3 की उप-खंड (1) की कठोरता को लागू करना होगा।सामग्री को केवल सीमा अधिनियम की खंड 5 के दायरे में उठाए जाने की अनुमति दी जा सकती है, जिसके लिए अन्य बातों के साथ-साथ यह आवश्यक है कि सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं देने के लिए पर्याप्त कारण दिखाया जाना चाहिए।पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के नियम और आदेशों का नियम 5, खंड 5 अध्याय 1-ए, भाग ए भी इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचार के लिए तैयार है। गुरबचन सिंह बनाम श्री मस्तान सिंह आदि के मामले में। (1984) पी. एल. आर. 438 जिसमें निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैंः

"6. वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. बिंद्रा द्वारा यह आग्रह किया गया था कि एक बार अपील दायर होने के बाद, इसे

न्यायालय के रिकॉर्ड में रखा जाना चाहिए, भले ही उच्च न्यायालय द्वारा कुछ दोषों को दूर करने के लिए पक्ष को अपील का ज्ञापन वापस कर दिया जाए।उनके विचार में, याचिकाकर्ता द्वारा खर्च किए गए अनुचित लंबे समय, जिसे 7 मार्च, 1980 के आदेश में अस्पष्ट माना गया है, को नजरअंदाज करने की आवश्यकता है। पृथ्वी राज बनाम श्रीमती. कमल कांता (1980) 82 पी. एल. आर. 155 इस न्यायालय का एक खण्ड पीठ का निर्णय है जिसमें इस बिंदु को भी शामिल किया गया है। याचिकाकर्ता की अपील को समय से बाधित होने के कारण मेरे द्वारा 07.03.1980 को ख़ारिज करने हेतु पेश किया गया था । पृथ्वी राज के मामले (ऊपर) का पालन 1981 के एफ. ए. ओ. सं. 117-एम. में किया गया है। कुसुम लता बनाम।राकेश मोहन पाठक ने 10 नवंबर, 1983 को फैसला किया।वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. एस. बिंद्रा ने कहा कि इस न्यायालय की पंजीकरण द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के लिए 40 दिनों की सीमा प्रदान करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को निर्देशिका प्रकृति का माना जाना चाहिए।चूंकि एक बार, उनके अनुसार, सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 4:1 नियम 1 के तहत अपील का ज्ञापन दायर किया जाता है, इसलिए इसे किसी अन्य आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है कि उसी संहिता के आदेश 41 नियम 3 में निहित है।ये नियम उच्च न्यायालय द्वारा न्यायाधीश के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। अपील में बताए गए दोषों को दूर करने के लिए पंजीकरण के आदेशों का पालन करने में किसी पक्ष को अनुचित छूट नहीं दी जा सकती है।

अपीलकर्ता को अवकाश में घूमने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि वादियों को अधिक छूट दी जाती है तो उन्हें आदेशों का पालन करने में न केवल महीने बल्कि साल भी लग सकते हैं।इस मामले में अपीलकर्ता को पंजीकरण द्वारा बताए गए दोषों को दूर करने के बाद अपील को फिर से दायर करने में 85 दिन लगे। इस तरह के दुरुपयोग की जांच की जानी चाहिए।"

उपरोक्त निर्णय के अनुपात को ध्यान में रखते हुए, जिसमें इस न्यायालय के एक खण्ड पीठ के फैसले पर ध्यान किया गया है, मैं पाता हूं कि वर्तमान मामले में, अपील को फिर से दायर करने में देरी को बिल्कुल भी सपष्ट नहीं किया गया है कि संतोषजनक ढंग से समझाया गया है। वास्तव में, अपील को फिर से दायर करने में इतनी लंबी अवधि की देरी को माफ करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है।सीमा अधिनियम की खंड 3 (1) की कठोरता काम करेगी। देरी को माफ करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं है। यह आवेदन तदनुसार खारिज कर दिया जाता है और इसके परिणामस्वरूप नियमित दूसरी अपील खारिज की जाती है।"

(8) अन्यथा भी, यदि कोई योग्यता के आधार पर भी आवेदक के आचरण को देखता है, यह मुद्दा एक विशिष्ट वेतनमान में 20.11.1989 को प्राम्भिक नियुक्ति के समय निर्धारित वेतन को चुनौती देने के लिए 31.10.2008 को सेवा निवृति के चार साल बाद 2012 में रिट दायर करने से सम्बंधित है। इस कारण से, विद्वान एकल न्यायाधीश ने भी

याचिकाकर्ता को अनुग्रह का लाभ देने की आवश्यकता महसूस नहीं की और शुरू में ही रिट याचिका को खारिज कर दिया।

(9) ऐसी परिस्थितियों में, यह न्यायालय को उस आवेदक के आचरण से और भी हतोत्साहित है जो हर समय लापरवाही करता था।परिणामस्वरूप, गुण-दोष के आधार पर भी विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 07.05.2013 के विवादित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

(10) तदनुसार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, विलंब की माफी के लिए आवेदन और मुख्य अपील में कोई योग्यता नहीं है, जिन्हें खारिज कर दिया गया है।सभी लंबित आवेदनों का भी तदनुसार निपटारा किया जाता है।

डॉ. पायल मेहता

अश्विकरण :- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सका है ! सभी वय्हावरिक और आधिकारिक उदेश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा !

YASHPAL GUPTA,TRANSLATOR